सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2019—20

निष्काम सेवा

निदेशालय, गृह रक्षा,

राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

भाग–1 विभागीय सार–संक्षेप

		पृष्ठ संख्या
1.1	भूमिका	4
1.2	गृह रक्षा की शाखाए	4
1.3	नियत्रंण	5
	भाग–2. निदेशालय का विवरण	6
2.1	गृह रक्षा, निदेशालय	6–7
2.2	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	8
	भाग–3. विभागीय कार्यप्रणाली	
3.1	गृह रक्षा के मुख्य कृत्य	9
3.2	गृह रक्षा की सीमा ईकाई	9–10
3.3	गृह रक्षा की शहरी ईकाई	11
3.4	गृह रक्षा की ग्रामीण ईकाई	12
3.5	शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	13
3.6	सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	14
3.7	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम	15
3.8	पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता	16
3.9	वार्षिक योजना	16
3.10	प्रशस्ति पत्र	17
3.11	विभागीय जांच एवं निलम्बन	17
3.12	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग	17–19
	भाग–4. बजट प्रावधान	
4.1	शहरी गृह रक्षा बजट मद	20
4.2	सीमा गृह रक्षा बजट मद	21
4.3	पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा	21

4.4	पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा	22
4.5	वृहद् निर्माण कार्य	22
4.6	अनुरक्षण एवं मरम्मत	22
भाग–5.	विभाग की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ	23–24
	परिशिष्ठ	
	(अ) विभाग का संगठानात्मक स्वरूप	25
	(ब) विभाग की जिले वाइज स्वय सेवकों की नफरी व उनके नियोजन का विवरण	26

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20

भाग –1

1.1 भूमिका :

द्वितीय विश्व युद्व के दौरान ब्रिटेन में ''होमगार्डस'' नाम का एक स्वयं सेवी संगठन खड़ा किया गया जो कि युद्व के दौरान स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख सके तथा स्थानीय प्रशासन को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहायक हो सके। भारत वर्ष में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम 6 दिसम्बर 1946 को स्थानीय नागरिको व पुलिस की सहायता के लिए **''होमगार्ड''** संगठन स्थापित किया गया, तत्पश्चात इसी धारणा के अनुरूप अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के संगठनो को स्थापित किया गया।

सन् 1962 में चीनी आक्रमण के मध्यनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपनी–अपनी स्वयं सेवी संगठनो को एक संयुक्त सेना जिसका नाम **''होमगार्डस''** के नाम से स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये जो कि संकल्प एवं चरित्र में स्वयं सेवी हो। इसी के मध्यनजर समस्त भारत में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को **''गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा''** दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में 'होमगार्डस' संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में राजस्थान होमगार्डस अध्यादेश 1962 एवं राजस्थान होमगार्डस नियम 1962 द्वारा की गई। यह संगठन राजस्थान में 57 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस संगठन में वर्तमान में 30714 शहरी,ग्रामीण एवं सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवको का विशाल बल है जिनके साथ हजारो परिवार जुड़े हुए है।

1.2 गृह रक्षा की तीन शाखायें हैं :–

1. सीमा गृह रक्षा 2. शहरी गृह रक्षा 3. ग्रामीण गृह रक्षा

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर , जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में है। शहरी गृह रक्षा राज्य के समस्त जिलों में एवं ग्रामीण गृह रक्षा राज्य के 24 जिलों में है। राज्य के सभी जिलों में शहरी गृह रक्षा में 1420 महिला स्वयं सेविकायें भी हैं। इस प्रकार कुल 30714 गृह रक्षा के प्रशिक्षित स्वयं सेवक/सेविकाएं हैं। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन राजस्थान होम गार्डस रूल्स 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होती है।

इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :–

1. गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों बाड़मेर ,जैसलमेर बीकानेर, एवं श्री गंगानगर में)
4. शहरी तथा ग्रामीण गृह रक्षा इकाईयां (जिला स्तर पर)।

1.3 नियन्त्रण :

1. इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक, गृह रक्षा के अधीन है। निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष की सहायतार्थ अति. महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महासमादेष्टा, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तथा जूनियर स्टाफ ऑफिसर व अन्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा अधीनस्थ ईकाईयों में गण समादेष्टा/समादेष्टा/ उप समादेष्टा के पद स्वीकृत हैं।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जो कि उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते है। इस संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक के सहयोग के लिये उप निदेशक (उप समादेष्टा) एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है जिनकी सहायतार्थ उप गण समादेष्टा व अन्य स्टाफ अधिकृत हैं।
4. शहरी गृह रक्षा इकाईयां प्रत्येक जिले में स्थापित है एवं ग्रामीण गृह रक्षा 23 जिलों में स्थापित है जिनका नियंत्रण समादेष्टा में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

भाग – 2

2.1 गृह रक्षा निदेशालय

वर्तमान में गृह रक्षा निदेशालय जलेब चौक परिसर में सिटी पैलेस जयपुर से लगती हुई बिल्डिंग में कार्यरत है। स्थानाभाव के कारण निदेशालय की कुछ शाखाएँ जैसे कि केन्द्रीय भण्डार एवं डिस्पेंसरी, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के गर्वमैन्ट हॉस्टल स्थित परिसर में कार्यरत हैं।

विभाग के स्वयं के निदेशालय भवन निर्माण हेतु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सैक्टर–4 विद्याधर नगर में 1250 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है व 1097.48 लाख का बजट आवंटित किया गया है । निदेशाालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। स्वीकृत स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉं	विशेष विवरण
भारतीय पुलिस सेवा :					
1.	महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा	1	1	–	
2.	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा	1	1	–	
3.	महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा	1	1	–	स्वीकृति 19.02.2020 तक
राजस्थान गृह रक्षा सेवा :					
1.	उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा,	2	2	–	
2.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर	2	2	–	
3.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर	1	–	1	
4.	उप समादेष्टा (स्टोर)	1	1	–	
5.	उप समादेष्टा (एल.आर.)	2	–	2	
राजस्थान लेखा सेवा :					
1.	वित्तीय सलाहकार	1	1	–	
राजस्थान चिकित्सा सेवा :					
1.	वरिष्ठ चिकित्सक	1	1	–	

विभागीय अधीनस्थ सेवा :					
1	कम्पनी कमाण्डर	1	1	–	
2.	कम्पनी कमाण्डर आर्मोरर	1	–	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित।
3.	निरीक्षक (एम.टी.)	1	–	1	एक कम्पनी कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित।
4.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	–	1	
5.	प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.)	1	–	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित
6.	प्लाटून कमाण्डर	1	1	–	
7.	मुख्य आरक्षी	3	2	1	
8.	मुख्य आरक्षी आर्मोरर	2	–	2	दो मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित
9.	आरक्षी	14	1	13	
10.	मशीनमैन	1	–	1	
11.	वाहन चालक	1	–	1	
12.	वार्ड ब्वाय	1	–	1	
लेखा अधीनस्थ सेवा :					
1.	लेखाधिकारी	1	1	–	
2.	सहायक लेखाधिकारी–I	1	1	–	
3.	सहायक लेखाधिकारी–II	2	2	–	
4	कनिष्ठ लेखाकार	3	3	–	
मंत्रालयिक सेवा :					
1	निजी सचिव	1	1	–	
2.	निजी सहायक	2	2	–	
3	प्रशासनिक अधिकारी	1	–	1	एक अ.प्रशा.अधिकारी रिक्त पद के विरूद पदस्थापित
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	–	
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	6	5	1	
6.	वरिष्ठ सहायक	11	10	1	
7	कनिष्ठ सहायक	8	8	0	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	5	–	
2.	स्वीपर	1	1	–	
	योग	**85**	**56**	**29**	

2.2 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा जयपुर राजस्थान :

राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी।इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना है । यह संस्थान नियन्त्रण के लिए उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी के अधीन है एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवम् उपलब्ध स्टाफ का विवरण निम्नानुसार है :–

क. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियां	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	निदेशक	1	1	–	
2.	उप समादेष्टा	1	–	1	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	सीनियर इंस्ट्रेक्टर	1	–	1	एक कम्पनी कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
2.	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	1	–	1	एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
3.	कम्पनी कमाण्डर	1	1	–	
4.	प्लाटून कमाण्डर	3	3	–	
5.	मुख्य आरक्षी	6	3	3	
6.	आरक्षी	13	1	12	
7.	बिगुलर	2	–	2	
8.	ड्रम मैन	2	–	2	
9.	कांस्टेबल ड्राईवर	1	–	1	
लेखा सेवा					
1	सहायक लेखाधिकारी–II	1	–	1	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	1	–	
2.	शीघ्र लिपिक(स्टेनो)	1	–	1	
3.	वरिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड–I)	1	1	–	
4.	कनिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड–II)	3	3	–	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :				
1.	चौकीदार	2	–	2	
2.	कुक	2	2	–	
3.	कारपेन्टर	1	1	–	
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	–	
	योग	**46**	**19**	**27**	

भाग – 3

गृह रक्षा संगठन :

3.1 गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :–

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. असामान्य आपदाओं में मदद करने के लिए एक नागरिक आपातकालीन संगठन के नाभिक होने के लिए।
3. सहायक, आग, बचाव, संचार और एम्बुलेंस सेवाओं के नाभिक प्रदान करने के लिए।
4. परिवहन, संचार बिजली, पानी और आवश्यक सेवाओं को संचालित करने के लिए, जब सामान्य सेवाएं काम नहीं कर रही है।
5 सरकार की सामाजिक कल्याण योजना में सहायता के लिए।
6 राज्य सरकार या महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा समय–समय पर आंवटित किये जाने वाले अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए।

राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवको ने प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा डयूटी करते हुए अपनी योग्यता का परिचय दिया है। वर्तमान में गृह रक्षा स्वयं सेवको द्वारा राज्य के बाहर अन्य राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर पूर्ण लगन व उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी देते हुए शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है जिसकी समय–समय पर भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है जो कि संगठन की सक्रियता एवं उपयोगिता का एक अनुपम उदाहरण है। राज्य सरकार ने भी अनेक विभागो जैसे पुलिस,जेल,खनिज, बिजली,चिकित्सा,न्यायालय,नगर निगम आदि में सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य गृह रक्षा स्वयं सेवको को देकर उनमें अपना विश्वास जताया है।

3.2 सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियॉ)

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक–एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियॉ स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक पदस्थापित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होम गार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है। इन चारों बटालियनों (24 कम्पनियॉ) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सीमान्त जिलों में गण समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	गण समादेष्टा	4	3	1	
2.	उप गण समादेष्टा	4	–	4	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	28	11	17	
2.	प्लाटून कमाण्डर	76	29	47	सात मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
3.	प्लाटून कमाण्डर आरमोरर	4	–	4	
4.	प्लाटून कमाण्डर एम.टी.	4	1	3	
5.	मुख्य आरक्षी	24	21	3	सात मुख्य आरक्षीयों का बोर्डर होमगार्डस गंगानगर में प्लाटून कमाण्डर के रिक्त पदो के विरूद्ध वेतन आहरित किया जा रहा है।
6.	मुख्य आरक्षी एम.टी.	3	–	3	एक मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
7.	मुख्य आरक्षी आरमोरर	4	–	4	एक मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
8.	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	35	8	27	
9.	आरक्षी	103	4	99	
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी–II	4	2	2	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1	एक सहा. प्रशा. अधिकारी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
2.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	2	2	एक व0 सहायक रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
3.	वरिष्ठ सहायक	4	4	–	
4.	कनिष्ठ सहायक	20	11	9	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चौकीदार	21	8	13	
2.	स्वीपर	27	14	13	
	योग :	**373**	**121**	**252**	

3.3 शहरी गृह रक्षा (198 कम्पनियॉ) :–

राज्य के सभी 33 जिलों में शहरी गृह रक्षा दल की इकाईयां गठित हैं। जिसमें 13 महिला कम्पनियॉ सम्मलित हैं जिनकी कुल नफरी 1420 हैं व इन्हे राज्य के कानून एवं व्यवस्थां हेतु सहयोगार्थ सभी जिलो में वितरित किया गया है। स्वयं सेवको की अधिकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट–''ब'' पर संलग्न है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाईयों में शहरी गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :–

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डर)	7	6	1	एक समादेष्टा प्रतिनियुक्ति पर
2.	उप समादेष्टा	26	11	15	
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	20	19	1	
2.	प्लाटून कमाण्डर	73	54	19	तीन मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
3.	मुख्य आरक्षी	62	37	25	
4.	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	10	–	10	
5.	आरक्षी	96	2	94	
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी–II	12	9	03	
2.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–	
अधीनस्थ चिकित्सा सेवा :					
1.	कम्पाउण्डर	1	1	–	
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	13	07	06	एक व. सहायक रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
2.	वरिष्ठ सहायक	31	22	09	एक क. सहायक रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित
3.	कनिष्ठ सहायक	39	27	12	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	2	1	
2	चौकीदार	13	12	1	
3	कुक	2	2	–	
4.	स्वीपर	7	4	3	
	योग :	**416**	**216**	**200**	

3.4 ग्रामीण गृह रक्षा (57 कम्पनियॉ):

ग्रामीण क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, रेलवे ट्रेक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण गृह रक्षा की इकाईयां गठित की गई हैं। वर्तमान में ग्रामीण गृह रक्षा इकाई 23 जिलों (अजमेर, अलवर, बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, चूरू, चितौड़गढ, दौसा, धोलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक) में ही गठित की गई है जिनमें 6,280 स्वयं सेवक हैं।

इनके नियन्त्रण, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी शहरी गृह रक्षा में पदस्थापित समादेष्टा की है तथा उनकी सहायतार्थ नियमित स्टाफ स्वीकृत है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

क.सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियॉ	विशेष विवरण
अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	4	4	–	
2.	प्लाटून कमाण्डर	18	03	15	
3.	मुख्य आरक्षी	38	11	27	
4.	आरक्षी	3	–	3	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	16	14	02	
2	चौकीदार	02	–	02	
3.	कुक	05	03	02	
	योग :	**86**	**35**	**51**	

- वर्तमान में विभाग में 1006 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 447 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 559 पद रिक्त चल रहे है। उपरोक्त दी गई सूचियों में स्थिति दिसम्बर 2019 तक की दर्शाई गई है।
- इस विभाग में 19 अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य कार्य को देखते हुए रिक्त पदो के विरूद्ध अस्थाई रूप से पदस्थापित किया गया है।
- सीमा गृह रक्षा, शहरी व ग्रामीण गृह रक्षा के कुल 30,714 स्वयं सेवकों का विभिन्न जिलों में वितरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

नियोजन :

वर्ष 2019–20 में माह अप्रेल, 2019 से दिसम्बर 2019 तक सीमा, शहरी, ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :–

3.5 शहरी / ग्रामीण गृह रक्षा

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1	रात्रिगश्त ड्यूटी	1000 675	01.08.2019 से 31.12.2019 तक 09.10.2019 से 31.12.2019 तक
2	यातायात ड्यूटी	1000 575	01.08.2019 से 31.12.2019 तक 09.10.2019 से 31.12.2019 तक
3	कारागृह (जेल) ड्यूटी	303	01.08.2018 से 31.12.2019 तक
4	शासन सचिवालय, ड्यूटी	250	01.03.2019 से 31.12.2019 तक
5	विधान सभा भवन सुरक्षा, ड्यूटी	12	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
6	आन्तरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ ड्यूटी	03	01.03.2019 से 31.12.2019 तक
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मय वाहन चालक	02	19.02.2019 से 31.12.2019 तक
8	मा.शि.बोर्ड परीक्षा 2019 ड्यूटी	2934 मैनडेज	07.03.2019 से 15.04.2019 तक
9	आरक्षी / आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरूद्व	137	01.03.2019 से 30.06.2019 तक
10	आरक्षी / आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरूद्व(56+65)	121	01.07.2019 से 30.12.2019 तक
11	मेले / पर्वो के दौरान ड्यूटी	89765 मैनडेज	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
12	राजस्थान लोक सभा चुनाव 2019	21000 मैनडेज	26.04.2019 से 30.04.2019 तक 03.05.2019 से 07.05.2019 तक
13	उत्तराखण्ड लोकसभा चुनाव 2019	3000 सदस्य	07.04.2019 से 13.04.2019 तक
14	तेलगांना लोकसभा चुनाव 2019	2500 सदस्य	06.04.2019 से 14.04.2019 तक
15	दिल्ली लोकसभा चुनाव 2019	7000 सदस्य	08.05.2019 से 14.05.2019 तक
16	मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण में पारित निर्णय	4250 सदस्य	09.11.2019 से 10.11.2019 तक
17	हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019	2000 सदस्य	16.10.2019 से 22.10.2019 तक
18	नगरपालिका चुनाव 2019	3500 सदस्य	14.11.2019 से 31.12.2019 तक
19	विभिन्न ड्यूटियां	1300 मैनडेज	01.04.2019 से 31.12.2019 तक

3.6 सीमा गृह रक्षा ड्यूटियॉ

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1	जेल डयूटी	500	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
2	खान एवं भू–विज्ञान विभाग	333	01.12.2019 से 31.12.2019 तक
3	राज.उच्च न्यायालय, जयपुर	22	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
4	सुपर थर्मल पॉंवर, बारां	310	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
5	केयर्न एनर्जी, बाड़मेर	140	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
6	हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स	137	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
7	सुजलान एनर्जी, जैसलमेर	20	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
8	मैसर्स आईनाथ सिक्यूरिटी संस्थान जैसलमेर	04	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
9	सुपर थर्मल पॉवर प्लान्ट,काली सिन्ध झालावाड	124	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
10	सम्प्रेक्षण एवं बाल किशोर गृह, जयपुर	12	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
11	दूरदर्शन विभाग, अजमेर	03	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
12	विद्युत विभाग. चित्तौड़गढ / बूँदी	14	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
13	सुपर थर्मल तापिय विधुत परियोजना रामगढ जैसलमेर	33	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
14	वी.एस. लिग्नाईट पावर प्रा.लि. गुढा, बीकानेर	34	01.04.2019 से 31.12.2019 तक
15	राजस्थान लोक सभा चुनाव 2019	2000 सदस्य	26.04.2019 से 30.04.2019 03.05.2019 से 07.05.2019 तक
16	हरियाणा विधान सभा चुनाव 2019	05 कम्पनी	11.10.2019 से 24.10.2019 तक

3.7 **केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2019–20 में संचालित पाठ्यक्रम :**

(अ) स्वयं सेवको के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम

क.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	ड्रिल कोर्स (प्रथम)	08.04.2019 से 19.04.2019	H.G. vols	70
2	टी.ओ.टी. कोर्स	20.05.2019 से 31.05.2019	H.G. vols	70
3	सर्च एण्ड रेस्क्यू कोर्स	10.06.2019 से 21.06.2019	H.G.vols	70
4	फायर फाइटिंग कोर्स	24.06.19 से 05.07.19	H.G .vols	70
5	लीडरशिप कोर्स	08.07.2019 से 19.07.2019	HCC/HPC/HHC	35
6	फर्स्ट एड कोर्स	22.07.2019 से 02.08.2019	H.G .vols	70
7	डिजास्टर मैनजमेंट कोर्स	05.08.2019 से 16.08.2019	H.G .vols	70
8	बैसिक लाईफ सपोर्ट कोर्स	19.08.2019 से 30.08.2019	H.G. vols	70
9	मानद पूर्व पदौन्नति कोर्स	02.09.2019 से 13.09.2019	HPC/HHC/CPL	70
10	फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स	16.09.2019 से 27.09.2019	HG .vol.	35
11	वैपन कोर्स (प्रथम)	16.09.2019 से 04.10.2019	BHG .vols	36
12	यातायात नियन्त्रण कोर्स (द्वितीय)	09.10.2019 से 18.10.2019	HG VOL	35
13	ड्रिल कोर्स (द्वितीय)	30.10.2019 से 08.11.2019	BHG Vol	36
14	वैपन कोर्स (द्वितीय)	23.12.2019 से 03.01.2020	HG .vols	35
15	लीडरशिप कोर्स(द्वितीय)	30.12.2019 से 10.01.2020	HCC/HPC/HHC	70
16	ड्रिल कोर्स (तृतीय)	13.01.2020 से 24.01.2020	HG Vol	70
17	यातायात नियत्रंण कोर्स (द्वितीय)	27.01.2020 से 07.02.2020	H.G.vols	70
18	आई.टी. कोर्स (द्वितीय)	10.02.2020 से 21.02.2020	H.G.vols	70
19	वैपन कोर्स (तृतीय)	24.02.2020 से 06.03.2020	H.G.vols	35
20	मानद पूर्व पदौन्नति कोर्स(द्वितीय)	05.03.2020 से 20.03.2020	HCC/HPC/HHC	35

(ब) स्थाई स्टाफ के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2019–20 :–

क.सं.	कोर्स का नाम	अवधि	स्तर	आवंटित सीटों की संख्या
1.	ड्रिल वैपन एण्ड टैक्टिस कोर्स	08.07.2019 से 26.07.2019	PC/HC/CT	35
2	पी.सी.सी कोर्स	18.11.2019 से 30.12.2019	P.C	21
3	टी.ओ.टी. कोर्स	24.02.2020 से 06.03.2020	CC/PC	35

(स) बोर्डर होमगार्डस के लिए सामूहिक प्रशिक्षण (कलेक्टिव ट्रेनिंग) वर्ष 2019–20 :–

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए बोर्डर होम गार्डस स्वयं सेवकों के सामूहिक प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य आवंटित किया गया है:–

क्र. सं.	ईकाई का नाम	आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्य
1.	बोर्डर होम गार्डस, बाडमेर	60 सदस्य (10 सदस्य प्रति कम्पनी)
2	बोर्डर होम गार्डस, जैसलमेर	60 सदस्य (10 सदस्य प्रति कम्पनी)
3	बोर्डर होम गार्डस, बीकानेर	60 सदस्य (10 सदस्य प्रति कम्पनी)
4	बोर्डर होम गार्डस, श्रीगंगानगर	60 सदस्य (10 सदस्य प्रति कम्पनी)

नोट:–मुख्यालय पत्र क्रमांक 447–51 दिनांक 06.01.2020 द्वारा सामूहिक प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य आवंटित किया गया है उक्त प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा।

3.8 पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003–04 से गृह रक्षा विभाग को पुलिस आधुनिकीकरण योजना में शामिल करते हुए योजना राशि का 5 प्रतिशत होम गार्डस के लिए चिन्हित किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना में राशि रूपये 225.00 लाख का बजट आवंटन करते हुये विभिन्न आईटम क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। विभाग द्वारा उक्त आईटम क्रय हेतु ई–निविदा जारी कर क्रय की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। विभाग द्वारा स्टेट सिक्यूरिटी प्लान वर्ष 2020–21 में शामिल करने हेतु राशि रू0 301.19 लाख का प्रस्ताव तैयार कर गृह मन्त्रालय,भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

3.9 वार्षिक योजना :–

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 4.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याद्यर नगर सैक्टर–4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड आवंटित किया गया है तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1097.48 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्त वर्ष 2019–20 में 390.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

3.10 प्रशस्ति पत्र :–

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदत्त दिनांक 13.08.2019 को इस विभाग के तीन अधिकारियों को विशिष्ठ/सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की गई।

आलौच्य वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 के दौरान 111 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा नकद पुरूस्कार मय प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

06 दिसम्बर 2019, गृह रक्षा के 57 वें स्थापना दिवस के अवसर पर महानिदेशक, गृह रक्षा ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से 11 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को प्रशंसा–पत्र प्रदान करवाए तथा अन्य 12 कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अपनी ओर से प्रशंसा–पत्र प्रदान किये गये।

3.11 विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा :–

गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	प्रकरण	01.01.2019 को विचाराधीन प्रकरण	01.01.2019 के पश्चात् प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण	31.12.2019 को लम्बित प्रकरण
1.	16 सीसीए	21	01	22	05	17
2.	17 सीसीए	01	03	04	02	02
3.	निलम्बन	08	01	09	06	03
योग :		**30**	**05**	**35**	**13**	**22**

3.12 प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33(5) गृह–9/2005 दिनांक 21.01.2012 द्वारा महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत **'कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी'** नियुक्त किया गया है, जिसकी पालना में फरवरी 2012 से गृह रक्षा विभाग में सिक्युरिटी सैल की स्थापना की गई है जिसके संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त स्टाफ आवंटित नहीं हुआ है। वर्तमान में इस अनुभाग का कार्य विभाग में उपलब्ध सीमित स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	पदनाम	उपलब्ध
1.	महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। (कन्ट्रोलिंग ऑथरिटी)	1
2.	अति0 महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
3.	महानिरीक्षक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
4.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	1
5.	कनिष्ठ सहायक	2
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
7.	गृह रक्षा स्वयं सेवक	2

प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–

1. राज्य में निजी सुरक्षा एजेन्सी का कार्य करने हेतु नवीन लाइसेन्स जारी करना एवं पूर्व में जारी लाइसेन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण करना।
2. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरणों का समय–समय पर निरीक्षण करना एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना।
3. राज्य में अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

प्रमुख कार्यो के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्तमान में राज्य में दिनांक 31.12.2019 तक 2110 निजी सुरक्षा अभिकरणो को लाइसेन्स जारी किया गया है, जिसमें से 1563 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी वैध लाइसेन्स के साथ कार्यरत है। राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम–2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को कन्ट्रोलिंग ऑथरिटी नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों को विगत 03 वर्षो में जारी लाइसेन्सों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	2017	2018	2019
1	नवीन लाइसेन्स	213	275	314
2	लाइसेन्स नवीनीकरण	25	15	53
	कुल योग :	**238**	**290**	**367**

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा एजेन्सियों से लाईसेन्स हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक प्राप्त डी.डी.राशि रू. 72,30,000 (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा हेतु भिजवाई गई है।

भाग – 4 (बजट संबंधी सूचना)

4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2019–20

बजट मद – 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं
00
107–गृह रक्षा,
(01) शहरी गृह रक्षा
00

(राशि लाखो मे)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2019–20			31.12.2019 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01– संवेतन	2100.00	700.00	2800.00	1446.19	436.45	1882.64
03– टी.ए.	25.00	5.00	30.00	15.08	3.43	18.51
04– मैडीकल	20.62	0.00	20.62	15.34	0.00	15.34
05– कार्यालय व्यय	41.25	13.75	55.00	29.67	10.01	39.68
08–वृतिक और विशिष्ट सेवायें	4.50	0.00	4.50	2.34	0.00	2.34
09– किराया कर	10.00	0.00	10.00	4.10	0.00	4.10
11– विज्ञापन/प्रचार/प्रसार	0.30	0.10	0.40	0.08	0.03	0.11
12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	23.00	0.00	23.00	16.31	0.00	16.31
18– मशीनरी एवं साज समान	50.00	15.00	65.00	2.45	0.78	3.23
20– वाहन संधारण	35.75	9.25	45.00	18.86	4.21	23.07
29– प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन	0.30	0.10	0.40	0.29	0.07	0.36
32– डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
36– वाहनों का किराया	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37– लिवरीज़	0.81	0.28	1.09	0.41	0.13	0.54
41– संविदा व्यय	5.00	0.00	5.00	4.89	0.00	4.89
42– प्रोत्साहन एंव मानदेय व्यय	2653.38	1996.62	4650.00	2377.19	910.71	3287.90
2070–00–107–01–00 योग :–	**4969.93**	**2740.11**	**7710.04**	**3933.20**	**1365.82**	**5299.02**

4.2 बजट मद– 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107– गृह रक्षा
(02) सीमा गृह रक्षा
00

(राशि लाखो मे)

विस्तृत मद	बजट प्रावधान वर्ष 2019–20			31.12.2019 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01– संवेतन	255.00	675.00	900.00	156.50	476.91	633.41
03– टी.ए.	2.25	6.75	9.00	1.43	4.44	5.87
04– मैडीकल	4.00	0.00	4.00	0.18	0.00	0.18
05– कार्यालय व्यय	2.50	7.50	10.00	2.18	6.86	9.04
06– वाहन क्रय	25.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00
09– किराया कर	0.15	0.00	0.15	0.07	0.00	0.07
11– विज्ञापन/प्रचार/प्रसार	0.05	0.15	0.20	0.03	0.08	0.11
18– मशीनरी एवं साज समान	7.50	22.50	30.00	0.00	0.00	0.00
20– वाहन संधारण	6.00	18.00	24.00	4.24	12.88	17.12
29– प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन	0.01	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00
37– लिवरीज़	0.17	0.51	0.68	0.09	0.26	0.35
42– प्रोत्साहन एंव मानदेय व्यय	41.47	405.25	446.72	18.68	254.70	273.38
2070–00–107–12–00 योग	**314.10**	**1210.70**	**1524.80**	**183.40**	**756.13**	**939.53**

4.3 बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107– गृह रक्षा
(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु

(राशि लाखों में)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2019–20			31.12.2019 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06– वाहनो का क्रय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
18–मशीनरी और एवं साज सामान/औजार एवं संयंत्र	50.00	75.00	125.00	10.80	16.20	27.00
योगः–	**50.01**	**75.00**	**125.01**	**10.80**	**16.20**	**27.00**

4.4 बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– गृह रक्षा

(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

[02] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु

(राशि लाखो मे)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2019–20			31.12.2019 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06– वाहनो का क्रय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
18–मशीनरी और एवं साज सामान/औजार एवं संयंत्र	40.00	60.00	100.00	7.88	11.82	19.70
योगः–	40.01	60.00	100.01	7.88	11.82	19.70

4.5 बजट मद – 4059–80–051–05–02

गृह रक्षा हेतु प्रशासनिक भवन

(राशि लाखो मे)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2019–20			31.12.2019 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
17–वृहद् निर्माण कार्य	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
योगः–	**390.00**	**0.00**	**390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

4.6 बजट मद – 2059–80–053–41–01

(राशि लाखो मे)

उप मद	बजट प्रावधान वर्ष 2019–20			31.12.2019 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
योगः–	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

भाग – 5

आलौच्य वर्ष 2019–20 की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :–

1. निदेशालय गृह रक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा विधाधर नगर के सैक्टर–4 में गृह रक्षा निदेशालय हेतु कुल क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटित की गई तथा भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 1097.48 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 390.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
2. गत तीन वर्षों से लम्बित अधीनस्थ स्टाफ की पदोन्नति का लक्ष्य मात्र 04 माह में पूर्ण कर, 22 कम्पनी कमाण्डर, 42 प्लाटून कमाण्डर, 23 मुख्य आरक्षीयों को पदोन्नत किया गया है एवं वर्ष 2019–20 में चार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व 03 सहायक प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नत किये गये है।
3. ऑनरोल मृतक स्वयं सेवकों की आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात उनके आश्रितो को नियमानुसार गृह रक्षा सदस्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया।
4. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों को एक बच्चे के स्थान पर दो बच्चो को कल्याण कोष से छात्रवृति दिये जाने का निर्णय।
5. प्रत्येक जिला तथा बटालियन मुख्यालय पर सम्बन्धित कमाण्डेन्ट/समादेष्टा की अध्यक्षता में स्वयं सेवकों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक जिला स्तरीय समस्या निवारण समिति का गठन किया गया।
6. 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से पृथक हो रहे स्वयं सेवकों को अग्रिम जीवन–यापन/लघु व्यवसाय हेतु कल्याण कोष से एक मुश्त अनुदान राशि के रूप में अधिकतम 50,000/–रू. तक राशि देने का निर्णय लिया गया।
7. राज्य सरकार द्वारा गृह रक्षा नियमावली 1962 के नियम 9 में आवश्यक बदलाव कर पूर्व में कमाण्डेन्ट जनरल द्वारा स्वयं सेवक को 55 वर्ष बाद सदस्यता में विस्तार किये जाने के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है, जिससे अब सभी स्वयं सेवक 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले स्वयं सेवकों को गृह रक्षा की सदस्यता से पृथक किया जावेगा। इस संशोधित प्रावधान के फलस्वरूप राज्य सरकार व गृह रक्षा विभाग के विरूद्व दायर होने वाले न्यायिक प्रकरणों में कमी आयेगी तथा विभाग में युवा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।

8. वर्ष 2019 में निजी सुरक्षा अभिकरण के लाइसेन्स आवेदन की प्रक्रिया का समेकन करते हुए राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ठोस कदम उठाये गये है, जिसके तहत लाइसेन्स प्रक्रिया को ऑन–लाइन करने का कार्य अन्तिम स्तर पर है।

9. रोकड़ परिवहन निजी सुरक्षा में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेन्सियों के कार्यकलापो पर नियंत्रण हेतु निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापो हेतु निजी सुरक्षा) नियम 2019 तैयार कर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराया गया।

10. राज्य में अवैध रूप से कार्यरत एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के प्रावधानों की पालना नही करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

11. गृह रक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जिलो में ऑडिट आक्षेप निस्तारण कैम्प आयोजित कर कुल 1103 आक्षेपो में से 631 ऑडिट आक्षेपो को निरस्त किया जा चुका है एवं वर्तमान में भी आक्षेप निरस्त करने की कार्यवाही जारी है।

12. 6 दिसम्बर 2019 को गृह रक्षा के 57 वें स्थापना दिवस के अवसर पर विभाग के गठन के पश्चात प्रथम बार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भव्य सेरेमोनियल परेड की सलामी ली गई और उनके द्वारा इस कार्यक्रम की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई। साथ ही अपने उद्‌बोधन में विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों का उत्साहवर्द्धन किया गया।

गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

परिशिष्ट ''अ''

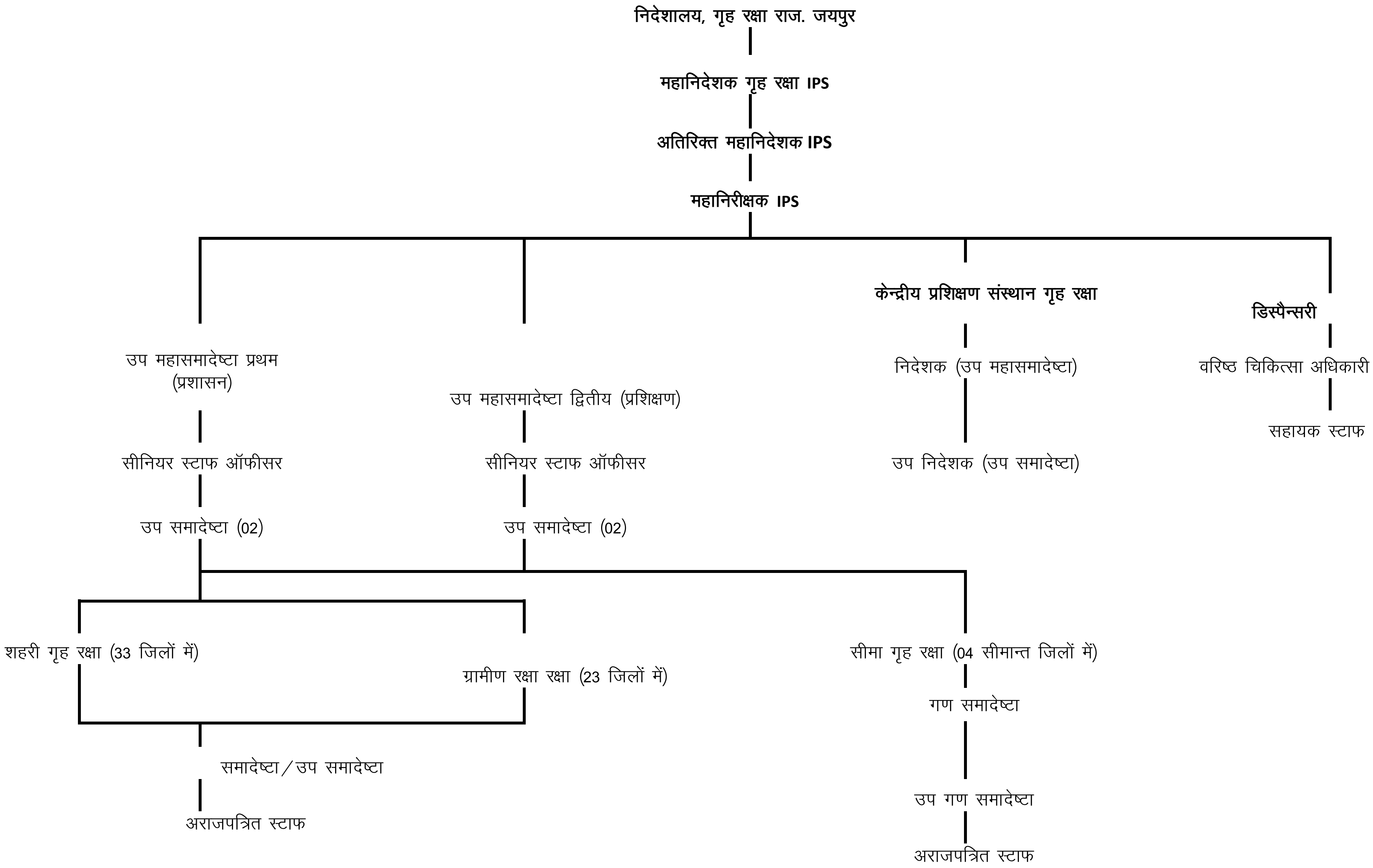

परिशिष्ट 'ब'

होम गार्डस की स्वीकृत/ऑन रोल नफरी/कमी का विवरण (दिनांक 31.12.2019 की स्थिती)

क्र.सं.	जिले का नाम	पुरूष	महिला	योग	ग्रामीण	कुल योग	मौजूदा	कमी	नियोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर.	1465	60	1525	195	1720	1709	11	379
2.	अलवर	615	80	695	695	1390	1235	155	370
3.	बाड़मेर	455	20	475	0	475	450	25	122
4.	बांसवाड़ा	330	35	365	0	365	335	30	134
5.	बारां	310	20	330	220	550	482	68	141
6.	बीकानेर	1025	35	1060	0	1060	1048	12	277
7.	भरतपुर	740	35	775	255	1030	903	127	219
8.	भीलवाड़ा	570	35	605	200	805	779	26	263
9.	बून्दी	235	30	265	285	550	516	34	113
10.	चूरू	365	20	385	165	550	541	9	82
11.	चितौड़गढ़	320	20	340	540	880	773	107	311
12.	दौसा	240	20	260	250	510	465	45	253
13.	धौलपुर	210	20	230	210	440	395	45	100
14.	डूंगरपुर	335	30	365	0	365	358	7	84
15.	गंगानगर	440	40	480	250	730	656	74	223
16.	हनुमानगढ़	440	35	475	0	475	471	4	131
17.	जयपुर	2945	220	3165	330	3495	3327	168	2745
18.	जालौर	270	20	290	0	290	273	17	90
19.	जैसलमेर	420	20	440	0	440	395	45	122
20.	झालावाड़	255	35	290	220	510	429	81	199
21.	झुन्झुनु	205	25	230	100	330	325	5	69
22.	जोधपुर	1905	110	2015	365	2380	2165	215	1078
23.	करौली	420	20	440	0	440	400	40	73
24.	कोटा	1580	70	1650	365	2015	1862	153	594
25.	नागौर	450	35	485	285	770	684	86	122
26.	पाली	345	35	380	460	840	745	95	273
27.	प्रतापगढ़	310	20	330	0	330	300	30	55
28.	राजसमन्द	460	70	530	90	620	579	41	267
29.	स.माधोपुर	360	20	380	240	620	568	52	259
30.	सीकर	470	35	505	155	660	641	19	247
31.	सिरोही	220	20	240	125	365	283	82	140
32.	टोंक	430	20	450	280	730	627	103	262
33.	उदयपुर	1210	110	1320	0	1320	1006	314	599
	योग	**20350**	**1420**	**21770**	**6280**	**28050**	**25725**	**2325**	**10396**

सीमा गृह रक्षा दल की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत	मौजूदा	कमी	नियोजित
1.	बाड़मेर	666	628	38	318
2.	जैसलमेर	666	620	46	321
3.	बीकानेर	666	630	36	320
4.	गंगानगर	666	621	45	312
	योग	**2664**	**2499**	**165**	**1271**